



राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पाट

जयपुर, दिनांक: 10 नवम्बर, 2020

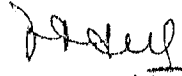
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के आम चुनाव माह अक्टूबर-दिसम्बर, 2020 हेतु घोषणा कर दी गई है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव वार चरणों में सम्पन्न कराये जायेंगे। पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के प्रावधान अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनाव में भी लागू होंगे। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के सलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नानुसार सूखा दिवस लागू करने का निर्देश प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	चुनाव चरण	चुनाव दिनांक	सूखा दिवस लागू करने की अवधि
1.	प्रथम	25.11.2020	दि. 21.11.2020 को सायं 5.00 बजे से दि. 23.11.2020 को सायं 5.00 बजे तक
2.	द्वितीय	27.11.2020	दि. 25.11.2020 को सायं 5.00 बजे से दि. 27.11.2020 को सायं 5.00 बजे तक
3.	तृतीय	01.12.2020	दि. 29.11.2020 को सायं 5.00 बजे से दि. 01.12.2020 को सायं 5.00 बजे तक
4.	चतुर्थ	05.12.2020	दि. 03.12.2020 को सायं 5.00 बजे से दि. 05.12.2020 को सायं 5.00 बजे तक

संलग्न : उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,


(ऑफिसमल राजोत्तिया)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, राधिकावाला, जयपुर)

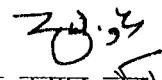
(Email- seeraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ 7(1)(1)पंचा./रा.नि.आ./2020/10106

दिनांक : 20/11/2020

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) (पंचायत), अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,


(अशोक कुमार जेन)
उप सचिव